



2026:AHC-LKO:40396-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट टैक्स संख्या - 864 सन 2025

यथार्थ एंटरप्राइजेज द्वारा प्रोप्राइटर डेविस राम बचन यादव

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त उत्तर
प्रदेश लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सतीश कुमार पांडेय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह
माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि टंडन और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है और किसी भी स्थिति में आक्षेपित आदेश इस न्यायालय की खंडपीठ के रिट टैक्स संख्या 303 सन् 2024 महावीर ट्रेडिंग कंपनी बनाम उप आयुक्त, राज्य कर एवं अन्य; 2024:एचसी:38820-डीबी के निर्णय के प्रतिकूल है।
- यह भी आग्रह किया गया है कि खंड-न्यायपीठ के उक्त निर्णय में, आयुक्त द्वारा पारित और सभी अपर आयुक्तों को संबोधित कार्यालय जापन संख्या 1406 दिनांक 12.11.2024 से यह संकेत मिलता है कि व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख वह तारीख नहीं हो सकती जिसके लिए



कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया जाना हो। कारण बताओ नोटिस के उत्तर की तारीख व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख से पूर्व होनी चाहिए।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस, जिसकी एक प्रति अभिलेख पर अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में लाई गई है, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख 07.08.2024 थी और व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख भी 08.08.2024 दर्शाई गई है और तदनुसार, यह दोषपूर्ण है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्य से विवाद नहीं कर सके।

6. उपर्युक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने से पूर्व इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **महावीर ट्रेडिंग कंपनी (उपर्युक्त)** में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें प्रस्तर-5 से 11 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

"5. कराधान संबंधी विधियों के अंतर्गत प्रक्रियात्मक विधि के लिए यह मूलभूत है कि किसी कर निर्धारण/निर्णयन आदेश को उसके विरुद्ध पारित किए जाने से पूर्व करदाता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः हमें यह अत्यंत विचित्र और पूर्णतः अस्वीकार्य लगता है कि केवल इसलिए कि मूल विधि में परिवर्तन हुआ है, राजस्व प्राधिकारियों ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है और प्रक्रियात्मक विधि की उस अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में विफल हो रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने से वंचित कर दिया है।

6. अधिनियम की धारा 75(4) निम्नानुसार है:

"जहां कर या दंड के लिए प्रभार्य व्यक्ति से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होता है, या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय किए जाने की परिकल्पना की गई है, वहां सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।"

7. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तीन तिथियों को उपस्थित हुआ। उन तिथियों के संबंध में, आक्षेपित आदेश निम्नवत है:

(i) "जारी नोटिस के अनुपालन में, दिनांक 23/9/2022 को श्री एफ०सी०चौहान (राजू चौहान) अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जो निम्न

(ii) "जारी नोटिस के अनुपालन में दिनांक 07/10/2022 को पुनः श्री एफ०सी०चौहान (राजू चौहान) अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जो निम्न है।

(iii) "जारी नोटिस के अनुपालन में दिनांक 27/10/2022 को पुनः श्री एफ०सी०चौहान (राजू चौहान) अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जो निम्न है.....

8. इस प्रकार, अभिलेख पर यह स्थापित है कि तीनों तिथियों पर, याचिकाकर्ता को जारी किए गए संबंधित कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट बिंदुओं पर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक अवसर पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उन उत्तरों को आक्षेपित आदेश में उद्धृत किया गया है। 27.10.2022 को प्रस्तुत उत्तर को दर्ज करने के बाद, निर्णयन प्राधिकारी ने प्रस्तुत उत्तरों के गुण-दोष पर विचार करना और गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करना चुना है।

9. अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि न तो निर्णयन प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को कारण बताने या मौखिक सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई और नोटिस जारी किया, न ही उसने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया।

10. पूछे जाने पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि, अन्यवादों में देखी गई ऐसी ही घटनाओं के आलोक में, उन्होंने वाणिज्यिक कर आयुक्त को अवगत कराया था। इसके परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1406 दिनांक 12.11.2024 जारी किया है। इसे सभी अपर आयुक्तों को संबोधित किया गया है ताकि आवश्यक अनुपालन के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित किया

जा सके। इसकी एक प्रति इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई गई जो निम्नवत है:

"1. जिस पंक्ति में व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख का उल्लेख किया जाना है, उसमें किसी तारीख का उल्लेख किए बिना केवल एन.ए. का उल्लेख किया गया है।

2. जिस पंक्ति में व्यक्तिगत सुनवाई का समय उल्लेखित किया जाना है, उसमें सुनवाई के समय का उल्लेख किए बिना केवल एन.ए. का उल्लेख किया गया है।

3. कुछ मामलों में, व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख ऐसी है जिससे पूर्व कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया जाना है, यह गैर-मौजूद है और इस चलन को बंद किया जाना है। कारण बताओ नोटिस के उत्तर की तारीख निश्चित रूप से व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख से पूर्व होनी चाहिए।

4. कुछ मामलों में, व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख वही तारीख होती है जिस तारीख तक कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया जाना होता है-यह गैर-स्थापित है और इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के उत्तर की तारीख निश्चित रूप से व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख से पहले होनी चाहिए।

5. टिप्पणीगत सभी मामलों में, अधिनियम की धारा 73(9)/74(9) आदि के तहत आदेश पारित करने की तारीख व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख के अनुरूप नहीं है। यह स्थापित विधि है कि आदेश की तारीख व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख को ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख 15.11.2023 है और व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख 17.11.2023 है, तो आदेश की तारीख 17.11.2023 होनी चाहिए"

11. ऊपर उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर, किसी भी अधिनिर्णयन कार्यवाही में कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले, नोटिस प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत



सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि नोटिस प्राप्तिकर्ता उस अधिकार को छोड़ने का विकल्प चुनता है, तो अधिनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष, (उन तथ्यों में), मामले को गुण-दोष के आधार पर, एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने का अवसर उत्पन्न हो सकता है। साथ ही, एक अन्य स्थिति भी हो सकती है जहाँ ऐसी व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद भी, नोटिस प्राप्तिकर्ता उसका लाभ उठाने में विफल रहता है। ऐसी स्थितियों को अलग रखते हुए, हम ऐसी प्रथा को उत्पन्न होने या अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दे सकते जहाँ अधिनिर्णयन कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने से इनकार किया जा सकता है।

7. चूंकि उपर्युक्त सिद्धांत वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होता है, अतः आक्षेपित आदेश संधार्य नहीं है और दिनांक 28.08.2024 का आदेश तदनुसार निरस्त किया जाता है।
8. उपर्युक्त के साथ, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है।
9. मामले को आकलन प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नया आदेश पारित किया जाए।

जून 5, 2026
प्रतिमा

[न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला] [न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह]